बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :–6/ज02–1075/2008– 15(प्रा०) पटना, दिनांक :– 25/4/26

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय – वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत भागलपुर जिला में कहलगाँव एवं पीरपैंती प्रखण्डों के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 141 ग्रामों/टोलों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा परिचालन एवं रख–रखाव हेतु राज्यांश मद से ₹11.43543 लाख (ग्यारह लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ तैंतालीस रूपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत भागलपुर जिला में कहलगाँव एवं पीरपैंती प्रखण्डों के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 141 ग्रामों/टोलों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–6/ज02–1075/08–133 दिनांक–19/01/2011 द्वारा 21967.42 लाख रूपये की राशि पर दी गयी है। पुनः इस योजना कि पुनरीक्षित स्वीकृति विभागीय पत्रांक–6ए/प्राक्क01–103/2020–971, दिनांक–28.05.2020 के द्वारा 26777.70 लाख रूपये (दो सौ सड़सठ करोड़ सतहत्तर लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि का प्रदान की गई है, जो पूर्व में स्वीकृत राशि से 4810.28 लाख रूपये अधिक है। जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यांश मद से व्यय किया जाना है।

2 इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पूर्व द्वारा राशि की अधियाचना की गई है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त प्रमण्डल के अंतर्गत कहलगाँव एवं पीरपैंती प्रखण्डों के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 141 ग्रामों/टोलों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में **NRDWP** के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से **निम्न तालिका** के अनुसार **₹11.43543 लाख (ग्यारह लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ तैंतालीस रूपये)** मात्र की राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	पत्रांक/ दिनांक	राज्यांश मद की राशि	राज्यांश मद में अबतक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि (लाख रूपये में)			
					सामान्य	अनु0 जाति	कुल	शब्दों में
1	भागलपुर पूर्व	291/27.01.26	15793.99	15782.55457	**9.00**	**2.43543**	**11.43543**	ग्यारह लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ तैंतालीस रूपये मात्र।

अनुरोध है कि **राज्यांश मद में** कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व को पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त राशि विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन

24/04/14

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–6 / ज02–1075 / 2008 - 15 (आ०) पटना, दिनांक– 25/4/26

1.प्रतिलिपी–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के के पी0एल0 खाता में **NRDWP** के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से उक्त विमुक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर किया जाए।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2. प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र–भागलपुर / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, पटना, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता (दक्षिणी बिहार) / बजट पदाधिकारी / अधीक्षण अभियंता (मो0) / कार्यपालक अभियंता (मो0–2) / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल, संख्या–10 / आई0टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी–6 / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/04/14

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)